रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09032022-234002
CG-DL-W-09032022-234002

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, फरवरी 27 - मार्च 5, 2022, शनिवार/फाल्गुन 8- फाल्गुन 14, 1943
No. 8] NEW DELHI, FEBRUARY 27 - MARCH 5, 2022, SATURDAY/ PHALGUNA 8– PHALGUNA 14, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी 3 के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी 3 भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 27.—राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में विभागीय कैंटीन, टाइप-'डी' में हलवाई-सह-रसोईया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, हलवाई-सह-रसोईया (विभागीय कैंटीन, टाइप-'डी'), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पद संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन अथवा अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हलवाई-सह-रसोईया ।	13* (2021) * कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित	स्तर – 3 (21700 - 69100/- रु.) ।	अचयन ।	18 और 25 वर्ष के बीच, (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के

	परिवर्तन किया जा सकता है ।	अननुसचिवीय ।			लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) । टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोज़गार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और रोज़गार समाचार पत्र या समाचार पत्र में विज्ञापन पद की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन आमंत्रित किया गया हो ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से खानपान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा । (ख) किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में सुसंगत क्षेत्र में दो वर्षो के अनुभव को अधिमान्यता दिया जाएगा । (ग) खाना बनाने के लिए व्यावसायिक परीक्षण अभ्यर्थी के निर्धारित उपयुक्तता संचालित की जाएगी । टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता	आयु – नहीं शैक्षिक अर्हता – हाँ ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है, कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिया आमेलन किया जाएगा ।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है,तो उसकी संरचना ।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः- ऐसे कैंटीन परिचर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000 – 56900/- रु.) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो । टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्तिः-** केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारी – (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. निदेशक या उप-निदेशक या ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या उप-महालेखाकार प्रशासन का भारसाधक (कार्यालय जिसमे प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है) - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप-निदेशक या ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या उप-महालेखाकार की पंक्ति का कोई अधिकारी (ऐसे कार्यालय को छोड़कर जिसमें प्रोन्नतियों के संबंध में विचार किया जा रहा है) – सदस्य; और 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशानिक अधिकारी या ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखापरीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी की पंक्ति का	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

किए हुए हैं, या (ii) ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोईया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900 – 63200/- रु.) में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	कोई अधिकारी - सदस्य।	

[फा.सं. ए. 12018/02/2020-ई.जी.]

निर्मला देव, निदेशक (ई.जी.)

New Delhi, the 4th February , 2022

G.S.R. 27.—In exercise of powers conferred by Clause (5) of Article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Halwai-cum-Cook' in Departmental Canteens, Type-'D' in the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. Short title and commencement.-(1)These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department, Halwai-cum-Cook (Departmental Canteen, Type-'D'), Group-'C' post Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.-The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is expedient or necessary so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes, Ex-service men and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether Selection post or Non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Halwai-cum-Cook.	13* (2021) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21700 - 69100/-).	Non-selection.	Between 18 and 25 years, (Relaxable for Government servants upto forty years in the case of general candidates and upto forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto, which the Employment Exchange is asked to submit names and in case the post is advertised in the Employment News or the Newspaper, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which applications have been called for.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
a) 10th Class pass from a recognised Board with Certificate or Diploma in Catering from a recognised institution; b) Two years experience in a Government Department or Undertaking in the relevant field shall be preferred. c) Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Comptroller and Auditor-General of India for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Comptroller and Auditor-General of India is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age - No. Education qualification - Yes.	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by Deputation and failing both by Direct Recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputationor absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstance in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Canteen Attendant with six years regular service in level -1 (Rs. 18000 - 56900/-) in the pay matrix. **Note:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation)consisting of: - 1. Director or Deputy Director or Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General in charge of Administration (of the office in which promotions are to be considered) –	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officials of the Central Government – (A) (i) Holding analogous post on regular basis, or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years regular service in level-2 (Rs. 19900 - 63200/-) in the pay matrix; and (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7. **Note 1:** The departmental officials in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Chairman; 2. An officer in the rank of Director or Deputy Director or Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General (from an office other than the office in which promotions are to be considered) – Member; and 3. An officer in the rank of Senior Administrative Officer or Administrative Officer or Senior Audit Officer or Audit Officer or Senior Accounts Officer or Accounts Officer – Member.	

[F. No.A-12018/02/2020-EG]

NIRMALA DEV, Director (EG)